**बिहार सरकार**
**लघु जल संसाधन विभाग**
**<u>मुख्यालय, अनुश्रवण</u>**

*सं०सं०–ल०सिं०मो०–प्रशासनिक स्वीकृति–314/2019–* 1269 (मो०) */पटना, दिनांक–* 23/6/2020

प्रेषक,

**ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,**
**अधीक्षण अभियन्ता,**
**(मुख्यालय), अनुश्रवण,**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

सेवा में,

**मुख्य अभियन्ता,**
**लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।**

विषयः–**लघु सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत वीयर–सह–स्लूईस गेट का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**आपका पत्रांक–890, दिनांक–27.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से लघु सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा के अधीन तीन योजनाओं यथा–डोमे गांव में वीयर–सह–स्लूईस गेट का निर्माण कार्य, क्यामचक गांव में वीयर–सह–स्लूईस गेट का निर्माण कार्य एवं बहुरवा गांव में वीयर–सह–स्लूईस गेट का निर्माण कार्य की प्रशासनिक राशि को पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

उक्त तीन योजनाओं की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि में 213 से 236 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण आपके द्वारा रूपांकण में बदलाव बताया गया है।

इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि होने का कारण बिना स्थल जांच किये एवं मनमाने ढंग से प्राक्कलन बनाना माना जायगा।

इस सम्बन्ध में मनमाने ढंग से प्राक्कलन बनाने वाले अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि क्यों नहीं उनपर कार्रवाई की जाय।

स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ विभाग को उपलब्ध कराया जाय साथ ही योजनाओं के कार्य में हुई वृद्धि की तुलनात्मक विवरणी एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

23/6/2020

**अधीक्षण अभियन्ता,**
**(मुख्यालय), अनुश्रवण,**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

*ज्ञापांक–* 1269 (मो०) */पटना, दिनांक–* 23/6/2020

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/6/2020

**अधीक्षण अभियन्ता,**
**(मुख्यालय), अनुश्रवण,**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

D:\AWADH-2020\LETTER-\JUNE-2020\WEIR CUM SLUICE GATE-PRAKALLAN-23-06-2020.DOCX

23/6/20